

उम्मीदवारो के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवार को वेबसाइट से ई-कॉल पत्र के स्पष्ट प्रिंटआउट (सामने और पीछे के पृष्ठ) डाउनलोड करने और लेने का निर्देश दिया गया है। किसी भी संदेह/ शंका से बचने के लिए फोटोग्राफ में उम्मीदवार का चेहरा उसकी पहचान के संबंध में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
2. पीईटी स्थल पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार द्वारा यह बुलावा-पत्र एवं वैध पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही पीईटी केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
3. ई-कॉल पत्र के कॉलम, जहां उम्मीदवार को अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर करना है उसे खाली छोड़ना होगा, और उसे केवल पीईटी वेन्यू पर इनविजिलेटर की मौजूदगी में भरा जा सकता है।
4. हस्ताक्षर के लिए बड़ा अक्षर का उपयोग नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए जैसे पीईटी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पत्र में है। इन कॉलमों को बड़े अक्षरों में लिखना में उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
5. उम्मीदवार को ई-कॉल लेटर और अटेंडेंस शीट के कॉलम पर बाएं अंगूठे के निशान को सावधानीपूर्वक पेश करना होगा ताकि अंगूठे का निशान धुंधला न हो।
6. बुलावा पत्र और ऑनलाइन आवेदन के बीच, उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण के किसी भी भिन्नता के मामले में, उम्मीदवार को तुरंत आरआरसी ईआर को वैध पहचान प्रमाण और सीबीटी कॉल पत्र के साथ रिपोर्ट करना होगा, और पीईटी कॉल लेटर को लाइव होने के पांच (05) दिनों के अंतर रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे को रिपोर्ट करें।
7. बुलावा -पत्र में संशोधन अथवा प्रतिलिपि तभी जारी किया जाएगा जब रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे के पदाधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि आवेदन फॉर्म में दिये गए विवरण से इसमें काफी विसंगति/अंतर है।
8. यदि उम्मीदवार अपना ई-बुलावा-पत्र का प्रिंटआउट खो देता है तो रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे द्वारा उन्हें बुलावा-पत्र की कोई प्रतिलिपि जारी नहीं की जाएगी।
9. पीईटी स्थल / तिथि / समय के परिवर्तन के अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन उम्मीदवारों के लिए पीईटी का कोई और दौर आयोजित नहीं किया जाएगा जो अपने कॉल लेटर में शेड्यूल के अनुसार पीईटी में उपस्थित नहीं रहते हैं। उम्मीदवार, जो देर से रिपोर्ट कर रहा है, उसे किसी भी परिस्थिति में भर्ती नहीं किया जाएगा।
10. उम्मीदवारों को आरआरसी / ईआर द्वारा निर्धारित पीईटी की अनुसूची का पालन करना होगा। पूर्वी रेलवे ने निर्णय लिया है कि अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए, जो निर्धारित तिथि और समय पर पीईटी में शामिल नहीं होंगे, कोई अतिरिक्त पीईटी तिथि नहीं होगी।

11. पीईटी का वीडियो ग्राफी किया जाएगा और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। कोई भी प्रतिरूपण या कदाचार कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
12. पीईटी स्थल पर पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए कोई साथी की अनुमति नहीं है।
13. एक बार जब उम्मीदवार पीईटी स्थल पर प्रवेश करता है तो उसे पीईटी पूरा किए बिना जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. उम्मीदवार अपना वैध फोटो पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र/आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ और यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र आदि अपने साथ अवश्य लाएं। पीईटी में भाग लेने के लिए उम्मीदवार अपने साथ दो रंगीन फोटोग्राफ (35 एमएम x 45एमएम), जैसा कि आवेदन फॉर्म में अपलोड किया गया था, अवश्य लाएं।
15. शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) दो चरणों में है। प्रथम चरण में, उम्मीदवार की निर्धारित समय में निर्धारित दूरी पर वजन ढोने की जांच की जाएगी, और यदि इस जांच में सफल होते हैं तो रिकवरी गैप के बाद दौड़ की जांच की जाएगी। प्रथम जांच अर्थात् वजन ढोने में विफल होने पर उसी चरण में उन्हें जांच प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाएगा।
16. वजन ढोने की प्रक्रिया जांच में उम्मीदवार को कमर जितनी ऊँची बेंच/प्लेटफॉर्म से एक बालू से भरे थैला (बिना किसी हैंडल का) को उठाकर ढोना है, जिस भी तरीका से इसे ढोना चाहे, बशर्ते कि थैला जमीन से ऊपर हो और बालू के थैले को जमीन पर बिना रखे गंतव्य बिन्दु तक ढोकर ले जाना है।
17. पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए वजन एवं दूरी के मापदण्ड नीचे दिये गए हैं:-

पुरुष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार
(i) 35 कि.ग्रा. के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।	(i) 20 कि.ग्रा. के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
केवल उपर्युक्त (i) जांच प्रक्रिया में सफल होने पर ही	केवल उपर्युक्त (i) जांच प्रक्रिया में सफल होने पर ही
(ii) एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकेण्ड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।	(ii) एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकेण्ड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

18. दौड़ के लिए रिपोर्ट करने से पहले, उम्मीदवार पहले पंजीकरण काउन्टर पर स्वयं को पंजिकृत करेंगे, घोषणपत्र फॉर्म भरेंगे और बुलावा-पत्र के भाग-ए को विधिवत हस्ताक्षर कर सौंप देंगे।

19. आर एफ आई डी की तकनीक का उपयोग, उम्मीदवारों द्वारा लिए गए समय को मापने के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें बिब और चिप्स जारी किए जाएंगे। इन और अन्य उपकरणों के साथ किसी भी छेड़छाड़ से, उम्मीदवारी की अस्वीकृति हो सकती है।
20. पीईटी पूरा होने के बाद, उम्मीदवारों द्वारा बिब और चिप्स पीईटी अधिकारियों को वापस कर दिए जाएं, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उपर्युक्त मदों को जमा करने के बाद उम्मीदवार को निकास द्वार से बाहर निकलना चाहिए।
21. उम्मीदवार को ड्रेस / जूते पहनने की सलाह दी जाती है, जिसे वह पीईटी रन के लिए सबसे अधिक आरामदायक समझता है।
22. पीईटी से ठीक पहले भोजन न करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है, पीईटी के लिए आने से पहले एक डॉक्टर के साथ अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। प्रशासन किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल / अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
23. पीईटी वेन्यू के अंदर, पंजीकरण काउंटरो के बाद कोई यूरिनल या पानी के बिंदु नहीं होंगे। एक बार जब उम्मीदवार पीईटी स्थल पर प्रवेश करता है तो उसे तब तक बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, जब तक कि वह पीईटी को पूरा नहीं कर लेता।
24. बैकपैक / सामान / पानी की बोतलें / खाद्य पदार्थ / मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैजेट्स जैसे स्टॉप वॉच / टाइम रिकार्डर पीईटी स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
25. उम्मीदवारों का तलाशी /फ्रिस्किंग किया जाएगा। उम्मीदवार, जो प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ में है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
26. पीईटी के दौरान किसी भी नुकसान / चोरी / चोट के लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं होगा।
27. उम्मीदवारों को पीईटी के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में दूसरे अवसर के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
28. प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित समय के अलावा पीईटी को समाप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
29. हालांकि उसी दिन उम्मीदवारों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, अतिरिक्त दिनों के लिए रहने और उसी के लिए खर्च वहन करने के लिए तैयार रहें। उन्हें अपने स्वयं के बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है।

30. प्रशासनिक ज़रूरत में, उम्मीदवारों में से सभी/कुछ के लिए, स्थान / तिथि / पीईटी का समय बदला जा सकता है। आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त पीईटी का संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. आरआरसी किसी भी स्तर पर, इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया/ भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कोलकाता (CAT, KOLKATA) के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।
33. पीईटी के समाप्त/ पूरा होने के बाद, पीईटी के परिणामों की घोषणा की जाएगी और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम आरआरसी-ईआर वेबसाइट पर भी नियत समय पर अपलोड किया जाएगा।
34. पीईटी और / या पीईटी से संबंधित सभी मामलों के बारे में रेलवे अधिकारियों का निर्णय अंतिम है और इसे विवादित नहीं बनाया जा सकता है। आगे कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।
35. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, जिन्होंने मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए अपने सामुदायिक प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड किया है, उन्हें ई-कॉल पत्र और मूल अनुसूचित जाति /एसटी प्रमाण पत्र के स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करने पर टिकट (केवल अपने लिए) बुक करने की अनुमति होगी। वे मुफ्त में, दूसरी / स्लीपर क्लास रेल यात्रा के लिए PET स्थल और सबसे छोटे मार्ग से वापस जाने के हकदार हैं। यात्रा के दौरान, उम्मीदवार को पीईटी, एससी / एसटी प्रमाण पत्र और पहचान के लिए जारी एक मूल निर्धारित प्रमाण , ई-कॉल पत्र को ले जाना चाहिए, जिसमें विफल रहा तो उसे टिकट के बिना यात्रा के रूप में माना जाएगा और उसके अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
36. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरसी-ईआर की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श करें और बेईमान तत्वों और टाउट्स द्वारा लगाई गई नकली वेबसाइट से सावधान रहें। आरआरसी ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट / कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है।
37. पीईटी आचरण / परिणाम को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवार का कोई भी अनुचित प्रयास उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करेगा। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के अनुसार किया जाता है।
38. उम्मीदवार को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि पीईटी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से तीन गुना है। इसलिए, चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल करने के लिए, पीईटी में केवल अर्हता प्राप्त करना एक उम्मीदवार को हकदार नहीं करता है।
39. उम्मीदवार पीईटी स्थल पर रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा। पीईटी के सुचारू संचालन के लिए उम्मीदवार को पीईटी के दौरान अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। PET में कदाचार / अनुशासनहीनता, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी और उसे भविष्य की सभी रेलवे भर्तियों से हटा दिया जाएगा। उम्मीदवार कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए भी उत्तरदायी है।

40. उम्मीदवार ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनका पालन करेंगे। निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
41. निर्देशों की किसी भी गलत व्याख्या के लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी अनजाने में त्रुटि, रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के विपरीत, लागू नहीं होगी। व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, निर्देशों के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
42. पीईटी सफल उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट एक छोटे नोटिस पर किया जा सकता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीईटी के बाद भी, आरआरसी ईआर की आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करते रहें।
